U;k;ky; HkicU/k vf/kdkjh ,o inu jktLo vihy ikf/kdkjh chdkusj

Ekgkohj [kjkMh vkj0,0,l0

vihy l0 03@2020

1. इन्द्रसिंह पुत्र स्व0 स्वरूप सिंह जाति राजपुत निवासी आलसर तहसील रतनगढ जिला चूरू ।

vihykV

cuke

1. सुरेन्द्रसिंह स्व0 स्वरूप सिंह जाति राजपुत निवासी आलसर तहसील रतनगढ जिला चूरू ।
2. तहसीलदार एवं उपपंजीयक रतनगढ जिला चूरू ।
3. नायब तहसीलदार एवं सब रजिस्ट्रार राजलदेसर तहसील रतनगढ ।

मुख्य रेस्पोडेन्ट

4. बिशनकंवर धर्मपत्नी स्व0 स्वरूप सिंह जाति राजपुत निवासी आलसर तहसील रतनगढ जिला चूरू ।
5. किरणकंवर पुत्री स्व0 स्वरूप सिंह जाति राजपुत निवासी आलसर तहसील रतनगढ जिला चूरू ।
6. प्रेमकंवर पुत्री स्व0 स्वरूप सिंह जाति राजपुत निवासी आलसर तहसील रतनगढ जिला चूरू ।
7. हनुमानसिंह पुत्र स्व0 स्वरूप सिंह जाति राजपुत निवासी आलसर तहसील रतनगढ जिला चूरू ।
8. लक्ष्मणकंवर पुत्री स्व0 स्वरूप सिंह जाति राजपुत निवासी आलसर तहसील रतनगढ जिला चूरू ।
9. देवेन्द्रसिंह पुत्र स्व0 स्वरूप सिंह जाति राजपुत निवासी आलसर तहसील रतनगढ जिला चूरू ।

xk.k jLikM.Vl

mifLFkr%& 1. श्री रोहिताश सिह राठोड अधिवक्ता अपीलांट॰

2.श्री सुरेन्द्र राहड़ अधिवक्ता रेस्पोडेन्टस

U;k;ky; mi[k.M vf/kdkjh jrux< ds fu.kZ; fnukad 28-02-2020 ds fo:} vihy vUrxZr /kkjk 223 jktLFkku dk'rdkjh vf/kfu;e 1955

fu.kZ; दिनांकः–19.05.2022

1. अपील के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार से है कि यह अपील उपखण्ड अधिकारी रतगढ के निर्णय दिनांक 28.02.2020 के विरूद्व न्यायालय हाजा में पेश हुई है । अपीलांट/वादी इन्द्रसिंह के द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 53,88,188, 92 ए, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में रेस्पो0/प्रतिवादीगण के विरूद्व इस आशय का पेश किया गया कि ग्राम आलसर व आलसर बास, प्रेमनगर तहसील रतनगढ की पैतृक कृषि भूमि लगभग 600 बीघा जो रामलाल सिह की जागीरी में वादगत कृषि भूमि ख0न0 116 मिन तादादी 15.16 बीघा, ख0न0 116 मिन तादादी 51.09 बीघा, ख0न0 183 मिन तादादी 86.04 बीघा, ख0न0 216 मिन तादादी 14 बिस्वा, ख0न0 248 मिन तादादी 63.06 बीघा व ख0न0 44 मिन तादादी 26 बीघा, ख0न0 45 मिन तादादी 5 बिश्वा जिनके वर्तमान ख0न0 157 तादादी 15.16 बीघा, ख0न0 770 तादादी 51.09 बीघा जो वर्तमान रोही ग्राम प्रेमनगर व ख0न0 879 तादादी 86.18 बीघा, ख0न0937 तादादी 63.06 बीघा रोही आलसर व ख0न0 111 तादादी 26.05 बीघा रोही ग्राम प्रेमनगर व ग्राम आसलसर की रोही में ग्राम आसलसर की रोही का ही हिस्सा रहा है । वर्तमान ख0न0 1222/100 तादादी 13.15 बीघा स्थित है जो जागीरी के समय से रामलाल पुत्र भेरूसिंह के कब्जा काश्त उपयोग से अपीलांट/वादी एव रेस्पो0/प्रतिवादीगणो के सयुंक्त हिन्दु परिवार की पैतृक सम्पति रही है । जिसमें वादी व प्रतिवादीगण जन्म से ही खातेदारी कब्जा काश्त का हक अधिकार कानूनन रहा है व वर्तमान में है । तदनुसार अपीलांट/वादी का 1/8 हिस्सा व रेस्पो0/प्रतिवादीगणो का 6/8 हिस्सा जो कुल कृषि भूमि में 7/8 हिस्से का मिटस एण्ड बाउण्डस के द्वारा विभाजित किया जाकर खाता विभाजन व लगान अलग अलग किया जावे का अनुतोष चाहा था जिसे अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा खारिज कर दिया गया जिसके विरूद्व अपील पेश की गयी है ।
2. अपीलांट् पक्ष के योग्य अभिभाषक ने अपील मीमो के तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस में कथन किया है वादगत कृषि भूमि ख0न0 116 मिन तादादी 15.16 बीघा, ख0न0 116 मिन तादादी 51.09 बीघा, ख0न0 183 मिन तादादी 86.04 बीघा, ख0न0 216 मिन तादादी 14 बिस्वा, ख0न0 248 मिन तादादी 63.06 बीघा व ख0न0 44 मिन तादादी 26 बीघा, ख0न0 45 मिन तादादी 5 बिश्वा जिनके वर्तमान ख0न0 157

तादादी 15.16 बीघा, ख0न0 770 तादादी 51.09 बीघा जो वर्तमान रोही ग्राम प्रेमनगर व ख0न0 879 तादादी 86.18 बीघा, ख0न0 937 तादादी 63.06 बीघा रोही आलसर व ख0न0 111 तादादी 26.05 बीघा रोही ग्राम प्रेमनगर व ग्राम आलसर की रोही में ग्राम आसलसर की रोही का ही हिस्सा रहा है । वर्तमान ख0न0 1222/100 तादादी 13.15 बीघा स्थित है जो जागीरी के समय से रामलाल पुत्र भेरूसिह के कब्जा काश्त उपयोग से अपीलांट/वादी एव रेस्पो0/प्रतिवादीगणो के सयुंक्त हिन्दु परिवार की पैतृक सम्पति रही है । जिसमें वादी व प्रतिवादीगण जन्म से ही खातेदारी कब्जा काश्त का हक अधिकार कानूनन रहा है व वर्तमान में है । वादगत समस्त कृषि भूमि का नामाकंन बाहमी विभाजन नदंसिह व सबलसिह के बिच होने के बाद राजस्व अभिलेखों में सबल सिंह पुत्र रामलाल के नाम से रहा है । रामलाल के दो पुत्र नंदसिह व सबल सिंह हुऐ थें । सबल सिंह एक ामत्र पुत्र संतान स्व0 स्वरूपसिह जी रहे है ओर सबलसिह के कब्जा काश्त व उपयोग उपभोग की कृषि भूमि में स्व0 सबलसिंह के जीवनकाल से ही अपीलांट, रेस्पो0 सं0 1 व गौण रेस्पोडेन्टान वादगत कृषि भूमि में सबलसिंह के हिस्से की बराबर कानूनन खातेदार व कब्जा काश्त उपयोग उपभोग के वैध अधिकारी है । अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा तथाकथित वसियतनामा के आधार पर राजस्व अभिलेखों मे अकित किये गये नामान्तकरण सं0 528 रोही ग्राम आलसर व रोही ग्राम आलसर बास में राजस्व कर्मचारियों द्वारा वरियतनामा के आधार पर बिना प्रभावी पक्षकारान को सुनवाई का अवसर प्रदान किये व बिना कोई नोटिस जारी किये एक पक्षीय कार्यवाही करते हुऐ प्रकृति के न्याय सिद्वांतों के विपरित राजस्व अभिलेखों में नाम अंकित किया गया है जो प्रारम्भ से अवैध व शुंन्य है जिसके आधार पर रेस्पो0 सं0 1 को वादगत कृषि भूमि बाबत कोई खातेदारी अधिकार प्राप्त हुऐ है ओर ना ही हो सकते है । अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पो0/प्रतिवादी सं0 1 के द्वारा न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का प्रस्तुत किया गया जिसका जवाब भी पत्रावली पर अपीलांट/वादी द्वारा प्रस्तुत किया गया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पो0/प्रतिवादी सं0 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद को दिनांक 28.02.2020 को खारिज कर दिया गया । अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा जो पंजीकृत वसीयतनामा के आधार पर दर्ज नामान्तरकरण के 28 वर्ष बाद प्रस्तुत किया जाना पैतृक कृषि भूमि के घोषणात्मक रेकार्ड दुरूस्ती, खाता विभाजन में कोई समयावधि विशेष कानून में निहित नही है । जिससे आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के प्रावधान लागू नही होते है । मातहत न्यायालय द्वारा अपीलांट/वादी के वाद को समझने में अहम कानूनी भूल कर आदेश पारित किया है को खारिज फरमाया जावे । अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जावे व अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 28.02.2020 को खारिज किया जावे ।

3. रेस्पोडेन्टस अभिभाषक ने अपीलांट अभिभाषक की बहस को नकारते हुऐ अपनी बहस व प्राथमिक आपत्ति प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी प्रस्तत कर निवेदन किया कि वादगत कृषि भूमि में सबलसिंह द्वारा रेस्पो0/प्रतिवादी सं0 1 के हक में पंजीकृत वसीयतनामा दिनांक 30.06.1986 को निष्पादित की गयी थी । सबलसिंह की मृत्यु के पश्चात वसीयत प्रभावी होगी ओर वसीयत के आधार पर रेस्पो0/प्रतिवादी सं0 1 ने

अपने नाम से ईंतकाल सं0 528 च 68 सन 1991 में वसीयत में वर्णित कृषि भूमि का ईतकाल रेस्पो0/प्रतिवादी सं0 1 में हुआ है । 28 वर्षो के बाद अपीलांट व गौण रेस्पो0 द्वारा गलत रूप से वादगत कृषि भूमि को पैतृक बताई जा रही है तथा आदेश 7 नियम 11 के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुऐ तथ्य अंकित किये है कि वादगत कृषि भूमि सबलसिंह पुत्र रामलाल की स्वअर्जीत कृषि भूमि रही है तथा अपीलांट के पिता स्वरूप सिह जो भोपालसिंह के गोद चले जाने से अपने वास्तविक पिता सबलसिह की सम्पती से नाहिक हो चूके है ओर सबलसिंह की सम्पति में स्वरूप सिंह का कोई हिस्सा नही रहा है । इस क्रम में रेस्पो0/प्रतिवादी सं0 1 ने अपने पक्ष में निष्पादित वसियतनामा व नामान्तरण की प्रतियां एव राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के निर्णय दिनांक 20.07.2021 अनुवान बाबूलाल बनाम प्रहलाद आदि के न्यायिक दृष्टांट प्रस्तुत किये ।

अपीलांट अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए तथा रेस्पो0/प्रतिवादी सं0 1 के आपत्ति प्रार्थना पत्र के तर्क पर अपील मिमो के तथ्यों को दोहराते हुए कहा की आदेश 7 नियम 11 केवल मात्र कानूनी दिशा निर्देश है । दावे में निस्तारण हेतु विवादक की विरचना करते हुऐ साक्ष्य ही कानूनन किया जा सकता है न कि मात्र रेस्पो0 द्वारा दिये गये तथ्यों को देखा जा सकता है । इसलिये अधीनस्थ न्यायालय में कानून के इस अहम तथ्यों को समझे बिना ही आदेश पारित कर दिया जो काबिले खारिज है । इसके संबंध में न्यायिक दृष्टात पेश किये है :–1. मंगामल बनाम टीबी राजु 2018(2)सीजे(सीआईवी)एस सी पेज 559 2. उर्वसीबन बनाम कृष्णकांत मनुप्रसाद त्रिवेदी 2019 (1)सीजे(सीआईवी)एस सी पेज 35 3. शानो देवी बनाम सतीस चोधरी आरआरटी 2018 (1) पेज 629 4. गुरूप्रीतसिंह बनाम सुरेन्द्रजीत कौर आरआरटी 2017 (1) पेज 713 5. प्रभुनारायण बनाम मुलिया आरआरडी 2008 पेज 423 व राजेन्द्र बनाम नाथी आरआरडी 2018–19 पेज 26 आदि प्रस्तुत किये ।

अभिभाषक रेस्पो0 ने दोराने बहस यह तर्क दिया कि वादगत कृषि भूमि का नामांतरकरण 28 वर्षो से निर्बाद रूप से नामातरकरण सं0 528 व 68 से दर्ज रहा है । ओर वादगत कृषि भूमि रेस्पो0 के कब्जा काश्त में रही है जिसकी जानकारी अपीलांट व उसके परिवानजनो को सदेव से रही है । जिस पर उनकी कोई आपत्ति नही रही है ओर अपीलांट को रेस्पो0 सं0 1 के पक्ष में निष्पादित वसीयत पत्र की भंलीभांती जानकारी रही है। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत दावे में वसीयत को किसी भी प्रकार से नल एण्ड अवोईड घोषित करने का अनुतोष चाहा है ओर ना ही सिविल न्यायालय में वादगत वसीयत को चूनोति प्रदान करते हुऐ निरस्त करवाया गया है । जिससे स्पष्ट है कि अपीलांट को वसियत पत्र 28 वर्ष बाद चूनोति प्रदान करने की कोई अनुमति प्रदान नही करता है । अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 28.02.2020 को यथावत रखा जावे ।

4. हमने उभय पक्ष अभिभाषक की बहस व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो व प्राथमिक आपत्ति का अवलोकन किया । रेस्पो0/प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत पंजीकृत वसीयतनामा जो सबलसिंह द्वारा रेस्पो/प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष में दिनांक 30.06.1986 को

उपपजीयक कार्यालय रतनगढ में पंजीबद्व है एवम इस वसीयत प़त्र में स्पष्ट अंकित है कि स्वरूप सिह अपीलांट के पिता थे जो भोपालसिह के गोद चले गये ओर भोपालसिंह की संपति में हिस्सा कायम कर सारे अधिकार जो एक जन्मे पुत्र की भांति ओरस पुत्र में प्राप्त कर लिये जिसका साक्ष्य नामान्तरकरण सं0 244 ग्राम आलसर तहसील रतनगढ के रिकार्ड पर प्रविष्टी में स्वरूप सिंह पुत्र सबल सिंह ने स्वय द्वारा अपने पिता का नाम स्वरूप सिह पुत्र भोपालसिंह न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रतनगढ में कार्यवाही संस्थित कर आदेश दिनांक 18.10.1965 से दुरूस्ति इंतकाल दिनांक 21.101965 जो ग्राम पंचायत परसनेउ की स्वीकृति भी दिनांक 02.11.1965 को रही है । इस प्रकार इन तथ्यों से पूर्णतया यह स्पष्ट होता है कि स्वरूपसिंह अपने जीवनकाल में ही भोपालसिहं की सम्पति में हक हिस्सा एक पुत्र की भांति रखने उसका व्ययन करने से अपने प्राकृतिक पिता सबलसिंह की अन्य सम्पतियों में कोई अधिकार नही रखते है ओर सबलसिंह द्वारा निष्पादित वसीयत पूर्णतया वैध व प्रभावशाली रही है जिससे नामान्तरकरण सं0 528 व 68 वादगत कृषि भूमि के मुत्तलिक रेस्पो0/प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष में दर्ज रहा है जिससे अपीलांट की अपील में कोई बल प्रदान नही होने से रेस्पो0/प्रतिवादी सं0 1 का आपत्ति प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य हो जाता है । अपीलांट अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत नजीरो का अवलोकन किया जो इस निर्णय में पूर्ण तया चस्पा नही होते है । रेस्पो0 अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत दृष्टांट न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के निर्णय अनुसार राजस्थान टिनेन्सी ऐक्ट 1955 धारा 212 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी के गोद चला जाता है तो उसके अधिकार पैतृक सम्पति, पैतृक परिवार में समाप्त हो जाते है । यदि अपीलांट सबलसिंह द्वारा की वसीयत को चूनोति देना चाहता है तो सिविल न्यायालय में चाराजोही कर सकता है ।

5. अतः उक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है एव अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 28.02.2020 को यथावत रखा जाता है । पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो । अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली मय निर्णय प्रति के लोटाई जावे ।
6. निर्णय आज दिंनाक 19.05.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(egkohj [kjkMh½
Hkw&icU/k vf/kdkjh ,o
inu jktLo vihy izkf/kdkjh
chdkusj